रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251598
CG-DL-E-25012024-251598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2024/माघ 5, 1945
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2024/MAGHA 5, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 67(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग III) भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध फोटोग्राफर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें उक्त नियमों के अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में फोटोग्राफर श्रेणी II के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (फोटोग्राफर श्रेणी II) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फोटोग्राफर श्रेणी II	7* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के विभागीय अभ्यर्थियों के	(क) आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र । (ख) वांछनीय : वानस्पतिक सामग्रियों का डिजिटल	लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पण :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम-से-

लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	फोटोग्राफ लेने, माइक्रोफोटोग्राफी और क्षेत्रीय दौरे के दौरान आउटडोर फोटोग्राफी करने का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		कम दो सप्ताह के प्रारंभिक प्रशिक्षण में आज्ञापक रूप से सफल होना होगा।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
सीधे भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 01/17/2023-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Photographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer Grade-II in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Photographer Grade-II), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–**The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Photographer Grade II	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500 – 81100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and up to the age of forty- five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	(a) Essential: (i) 12^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) Diploma or certificate of photography from any Government recognised institute. (b) Desirable: Experience of taking digital photographs of botanical objects, microphotography and in outdoor photography during field tour. **Note 1:** Qualifications are relaxable at	Not applicable.	Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	the discretion of the Staff selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Botanical Survey of India – Chairperson; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	Not applicable.

[F. No. 01/17/2023-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.25 19:52:49 +05'30'